इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2023—चैत्र 10, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता उत्सव पाराशर पुत्र श्री कमल किशोर पाराशर, निवासी—गोयल कालोनी डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूँ. मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण—पत्र प्राप्त हो चुका है. जन्म प्रमाण—पत्र में मेरी पुत्री का नाम नित्या (NITHYA) अंकित है जो ज्योतिष के अनुरूप नहीं है.

अतः मेरी पुत्री का ज्योतिष के अनुसार सही नाम निर्वानी पाराशर (NIRVANI PARASHAR) है, इसलिए जन्म प्रमाण—पत्र में दर्ज नाम नित्या (NITHYA) के स्थान पर ज्योतिष के अनुसार सही नाम निर्वानी पाराशर (NIRVANI PARASHAR) अंकित कराना चाहता हूँ.

पुराना नाम	नया नाम
(नित्या)	**(निर्वानी पाराशर)**
(NITHYA)	**(NIRVANI PARASHAR)**

(G-462)

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0001–बी–113(1)–22–23 क्र. 872 नागदा, दिनांक 21 सितम्बर 2022

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम–5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक नागदा, जिला उज्जैन के समक्ष

यह कि सुश्री हेमलता पिता नानकलाल रामानी, निवासी–चिकित्सालय मार्ग गली नंम्बर 1, नागदा, जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 19–10–2022 को प्रात : 11:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आषेय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर, या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	–	श्री पुण्या नानकलाल रामानी ट्रस्ट, नागदा
लोक न्यास का कार्यालय	–	115 / 13, चिकित्सालय मार्ग, गली नम्बर 1, नागदा, जिला उज्जैन
लोक न्यास की चल सम्पत्ति	–	निरंक
लोक न्यास की अचल सम्पत्ति	–	60 गुणा 09 पक्का मकान

आशुतोष गोस्वामी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-463)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 08–बी–113(1)–22–23

-:नियम चार:-

[नियम ५ (१) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम १९५१ (१९५१ की ३०) की धारा ५ की उपधारा (२) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, १९६२ का नियम ५ (१) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष

गांधी स्मारक श्रमिक ट्रस्ट मंदसौर द्वारा त्रिदेव पिता श्यामसुंदर पाटीदार मंदसौर

चूकि **गांधी स्मारक श्रमिक ट्रस्ट मंदसौर द्वारा त्रिदेव पिता श्यामसुदंर पाटीदार मंदसौर** ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , १९५१ (१९५१ का ३०) धारा -४ के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20/01/2022 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पति में हित रखता हो ओर उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः बिहारी सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर का लोक न्यासो का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक , 20/01/2022 को उक्त अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के द्वारा अपेक्षित लांच करना प्रस्तावित करता हूं। अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियो में लिखित कथन प्रस्तुत करे ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपतियो का विचार के लिये ग्रहण नही किया जाएगा।

संपत्ति का विवरण

(अ) अचल संपत्ति - (अ) नगर पालिका परिषद मंदसौर द्वारा दिनांक 30.06.1967 को आबंटित तथा नगर पालिका के संकल्प क्रमांक 532 दिनांक 29.08.1980 के आधार पर 99 वर्ष के लिए निष्पादित लीज-डीड 29.01.1981 पर निर्मित श्रम शिविर अफीम गौदाम के पास नई आबादी मंदसौर

(ब) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल से लेबर कॉलोनी मंदसौर स्थित तत्कालीन भवन क्रमांक 137 जिसे ट्रस्ट द्वारा जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 04.05.1988 को क्रय किया गया है।

(स) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल से जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के लेबर कॉलोनी नई आबादी मंदसौर स्थित भवन क्रमांक 138 दिनांक 04.05.1988 को क्रय किया गया।

(ब) चल संपत्ति - (अ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर के खाता क्रमांक 022198 में जमा राशि 1,94,000/-रू. लगभग व एफडीआर खाता क्रमांक 16200776583 तथा खाता क्रमांक 162000682323 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा एफडीआर

बिहारी सिंह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-464)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र. 0002–बी–113(1)–2022–23

प्रारूप चार

[म0प्र0 सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं म0प्र0 सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5(1) के अंतर्गत]

दिनांक /01/2023

जैसा कि महेश पिता शिवनारायण व अन्य 11 निवासी 35 गायत्री नगर इंदौर तहसील व जिला इंदौर ने अनुसूची में दर्शित न्यास/ संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीय करने हेतु म0प्र0 सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक /01/2023 को विचार किया जागेगा।

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/ अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जागेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम	क्षत्रिय मेवाड़ा सेन समाज ट्रस्ट हरसूद तहसील हरसूद जिला खण्डवा
चल संपत्ति	निरंक
अचल संपत्ति	निरंक

आज दिनांक 10 /01/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के अधीन जारी किया गया।

दलित कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-465)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र. 3–बी–113(1)–2022–23

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मार्च 2023

प्रारूप-पांच
[नियम 5(1) देखिये]

मौजा- उभेगांव रा0नि0मं0 छिन्दवाड़ा-3 तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) द्वारा :-

चूंकि श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बंर जैन मुमुक्षु मंडल धार्मिक न्यास उभेगांव की ओर से अध्यक्ष श्रीमति समता जैन पति शेष कुमार जैन, सचिव श्रीमति सिल्पी पति अभिषेक जैन निवासी- बाजार चौक उभेगांव तहसील व जिला छिन्दतवाड़ा द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है।

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 29.03.2023 को विचार के लिए लिया जावेगा।

अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/लोक न्यास अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29.03.2023 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता हैं और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बंर जैन मुमुक्षु मंडल धार्मिक न्यास उभेगांव तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) अचल सम्पत्ति निरंक।

(G-466)

रा.प्र.क्र. 3—बी—113(1)—2022—23

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मार्च 2023

प्रारूप-चार
(नियम 5(1) देखिये)

मौजा- उभेगांव रा0नि0मं0 छिन्दवाड़ा-3
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) द्वारा :-

चूंकि **श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बंर जैन मुमुक्षु मंडल धार्मिक न्यास उभेगांव की ओर से अध्यक्ष श्रीमति समता जैन पति शेष कुमार जैन, सचिव श्रीमति सिल्पी पति अभिषेक जैन निवासी- बाजार चौक उभेगांव तहसील व जिला छिन्दतवाड़ा** द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

क्र0	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1	चल सम्पत्ति	1- चांदी के बर्तन, जेवर एवं चांदी की अन्य सामग्री	2 किलो 400 ग्राम कीमत 1,32000/- रूपयें
		2- सोने के जेवर	50 ग्राम कीमत 3,00,000/-
		3- नगद राशि	1,50,000/-
2	अचल सम्पत्ति	निरंक	

अतुल सिंग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-467)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास पंजीयन अधिकारी कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

क्र. 215 प्र.क्र. 02–ब–113–2022–23

कोलारस, दिनांक 17 फरवरी 2023

प्रारूप – तृतीय

[नियम पांच – (1) देखिये]

(म० प्र० सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजियक कोलारस जिला शिवपुरी म० प्र० के समक्ष यह कि आवेदक यशपालसिंह पुत्र चन्दनसिंह रावत निवासी ग्राम पड़ौरा सड़क तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म०प्र०) लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 43 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया गया है।

एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 27.04.2023 को न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख में एक माह के भीतर प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते है। और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या उपरोक्त तारीख के अन्दर व्यक्तिश: अथवा प्लीडर अभिकर्ता के माध्यम उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के अन्दर अवसान के उपरान्त किसी भी प्रकार से आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता सम्पत्ति का विवरण)

1. **लोक न्यास का नाम:-** ‘श्री कुण्डन सरकार हनुमान मंदिर सेवा समिति श्री कुण्डन हनुमान मंदिर’ राई रोड़ नई तहसील के पास कोलारस जिला शिवपुरी (म०प्र०)।
2. **चल सम्पत्ति:-** सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया शाखा ए.बी.रोड़ कोलारस के बैंक खाता क्रमांक-5312031814 में राशि- 21,26000/- (इक्कीस लाख छब्बीस हजार रूपये) जमा है।
3. **अचल सम्पत्ति:-** ग्राम मानीपुरा तहसील कोलरस जिला शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 16 रकवा 0.2720 हे०, 18 रकवा 0.2190 हे०, 10 रकवा 1.7000 हे०, 7 रकवा 0.3550 हे०, 17 रकवा 0.0730 हे०, कुल किता 05 कुल रकवा 2.619 हे०।

ब्रज विहारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-468)

देवास विकास प्राधिकारण, देवास

क्र. 280 देवास, दिनांक 21 मार्च 2023

"प्रारूप- सोलह

[नियम 19(2) देखिए]

धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि देवास विकास प्राधिकरण, देवास नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-08/2023 अर्थात् ग्राम नागूखेड़ी एवं नोसराबाद बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है :-

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	शांति बाई वि राजेंद्र प्रसाद संजय अनिल ममता रानी एवं अन्य	देवास नगर	नागूखेड़ी	176 पार्ट	1.46
2	शासकीय	देवास नगर	नागूखेड़ी	178 पार्ट	0.51
3	अत्ता अली हबीबुल्लाह	देवास नगर	नागूखेड़ी	179 पार्ट	0.80
4	हबीबुल्लाह पिता इनायतशाह	देवास नगर	नागूखेड़ी	180/1	0.57
5	तेजूबाई पिता दल्ला देवास	देवास नगर	नागूखेड़ी	180/2	0.55
6	परमजीत कौर वि अमरजीत सिंह गंभीर सोनू सिंह सोनिया कौर पिता अमरजीत सिंह गंभीर	देवास नगर	नागूखेड़ी	181/1	0.10
7	नम्रता शर्मा पति राजीव शर्मा	देवास नगर	नागूखेड़ी	181/3 पार्ट	0.23
8	चंद्रशेखर पिता मुरलीधर चौधरी	देवास नगर	नागूखेड़ी	182/1 पार्ट	0.20
9	दिनेश कुमार जुनेजा नारायण	देवास नगर	नागूखेड़ी	198	0.10
10	श्री मारुती मंदिर	देवास नगर	नागूखेड़ी	199 पार्ट	0.82
11	सुनील पिता सुरेंद्र सिंह अर्चना पति सुनील दिनेश पिता सुरेंद्र सिंह सारिका	देवास नगर	नागूखेड़ी	202/1/1	0.14
12	सुनील पिता सुरेंद्र सिंह अर्चना पति सुनील दिनेश पिता सुरेंद्र सिंह सारिका	देवास नगर	नागूखेड़ी	202/1/2/1	0.11
13	सुनील पिता सुरेंद्र सिंह अर्चना पति सुनील दिनेश पिता सुरेंद्र सिंह सारिका	देवास नगर	नागूखेड़ी	202/2	0.14
14	विकास पिता रामचंद्र	देवास नगर	नागूखेड़ी	202/1/2/2	0.09
15	अम्बाराम पिता गणपत	देवास नगर	नागूखेड़ी	202/1/3	0.39
16	मेहरुनिसा बेगम पति सब्बीर अहमद	देवास नगर	नागूखेड़ी	203/1/1	0.47
17	इस्लामबी अब्दुल समद	देवास नगर	नागूखेड़ी	203/1/2	0.01
18	शाहिदा बी पुत्री अफ़ज़ल	देवास नगर	नागूखेड़ी	203/2	1.08
19	शासकीय	देवास नगर	नागूखेड़ी	204 पार्ट	0.16
20	सुरेश चंद्र पिता राम निवास	देवास नगर	नागूखेड़ी	205 पार्ट	0.27
21	शिलाबाई पति विजय सिंह	देवास नगर	नागूखेड़ी	206 पार्ट	0.18
22	विजय कुमार पति मधुकरराव	देवास नगर	नागूखेड़ी	207 पार्ट	0.04

23	शाहिदा बी पुत्री अफ़ज़ल	देवास नगर	नागूखेड़ी	208/2	0.31
24	मेहरुनिसा बेगम पति सब्बीर अहमद	देवास नगर	नागूखेड़ी	208/3 पार्ट	0.26
25	मेहरुनिसा बेगम पति सब्बीर अहमद	देवास नगर	नागूखेड़ी	208/4 पार्ट	0.14
26	मोइसिंह पिता छत्तर सिंह	देवास नगर	नोसराबाद	55/2 पार्ट	0.14
27	शासकीय	देवास नगर	नोसराबाद	56	0.24
28	मुरलीधर चौधरी	देवास नगर	नोसराबाद	57/1/2	0.01
29	राजाराम पिता सुखराम	देवास नगर	नोसराबाद	58/1 पार्ट	0.56
30	शासकीय रास्ता	देवास नगर	नोसराबाद	58/2 पार्ट	0.15

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा।

विशालसिंह चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-469)

कार्यालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, देपालपुर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 2242—री—2—2019 देपालपुर, दिनांक 14 मार्च 2023

//विज्ञप्ति (फार्म चार)//

आवेदक श्री भैरुलाल पिता जयराम निवासी वार्ड नम्बर 03 धार रोड बेटमा द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रारुप—तीन, नियम 4(2) के अंतर्गत **" श्री तम्बोली पंच कमेटी पारमार्थिक न्यास" पता तम्बोली मोहल्ला बेटमा** ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति, एवं निर्धारित शुल्क 05/— का चालान प्रस्तुत किया गया है ।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परीशिष्ठ में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह (अर्थात 30) दिन के अन्दर स्वंय अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है।

निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो/दावों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

:: परिशिष्ठ ::

पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता **" श्री तम्बोली पंच कमेटी पारमार्थिक न्यास" पता तम्बोली मोहल्ला बेटमा** एवं ट्रस्ट के नाम अचल संपत्ति का विवरण निरंत है। ट्रस्ट में सदस्यो की विवरणी सूची सलग्न की गई है।

आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से पारित किया गया ।

रवि वर्मा, रजिस्ट्रार.

(G-470)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग–पुनासा जिला खंडवा, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 00–बी–113–(1)–2022–23 खंडवा, दिनांक 24 फरवरी 2023

प्रारूप चार

विज्ञप्ति

[(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम,1951 की धारा 5 (2),एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1),के अन्तर्गत]

दिनांक **24.02.2023** को जारी

आवेदक **श्री छोटेलाल पिता मंगत्या ढाक्से** निवासी ग्राम मोरटक्कामाफी तह. पुनासा जिला खंडवा 9926072560 वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा **"मॉ नर्मदा सामुहिक समिति बलाई समाज मोरटक्कामाफी" तह. पुनासा जिला खंडवा** म.प्र. का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय मे दिनांक **24.03..2023** को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियो मे प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा।

– अनुसूची –

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता–: **"मॉ नर्मदा सामुहिक समिति बलाई समाज मोरटक्कामाफी" तह. पुनासा जिला खंडवा** म.प्र.

पता–: **"मॉ नर्मदा सामुहिक समिति बलाई समाज 1मोरटक्कामाफी" तह. पुनासा जिला खंडवा** म.प्र.

–अनुसूची "अ" –

चल संपत्ति :– नगद – 20000–00 रूपये

–अनुसूची "ब" –

अचल संपत्तिः– – निरंक –

चन्दरसिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-471)

कार्यालय, स्वामी नारायणदास शिक्षा समिति, मैहर जिला सतना, मध्यप्रदेश

क्र. 132—न.द.शि.स.—2023　　सतना, दिनांक 20 मार्च 2023

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के निर्वाचन खण्ड के तहत)

चूँकि पूर्व में स्वामी नारायणदास शिक्षा समिति मैहर का पंजीयन क्रं. 05/26/07/11467/2014 अध्यक्ष स्वामी बम महादेवदास प्रधान शिष्य गुरुपुत्र श्री नीलकंठ (नारायणदास) जी महराज के द्वारा पंजीकृत कराई गई थी, उक्त शिक्षा समिति के अंतर्गत बी.ए., बी.एड., दो आई.टी.आई. आदि पाठ्यक्रम का नियमित संचालन किया जाता है। म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के निर्वाचन खण्ड के तहत शिक्षा समिति के समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्यो को सूचना दिनॉक 05/02/2023 को दी गई कि वर्ष 2023 से 2026 तक के स्वामी नारायणदास शिक्षा समिति पदाधिकारियो का निर्वाचन दिनॉक 21/02/2023 को किया जावेगा, उक्त सूचना श्रीमान् कलेक्टर महोदय सतना, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सतना, श्रीमान् सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाए रीवा, संभाग रीवा, म.प्र., श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय मैहर, श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय मैहर के प्रतिनिधि एवं स्वयं की उपस्थिति में स्वामी नारायणदास शिक्षा समिति पदाधिकारियो का निर्वाचन वर्ष 2023 से 2026 तक दिनॉक 21/02/2023 को संपन्न कराया गया।

जो नवीन कार्यकारिणी एवं पदाधिकारी सदस्य सर्व सम्मति से निर्वाचित हुए है उनकी सूची निम्नानुसार है—

1. **स्वामी श्री बम महादेवदास जी** — अध्यक्ष
2. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव — उपाध्यक्ष
3. श्री सचीन्द्र सिंह बघेल — सचिव
4. श्री धर्मेश घई — संयुक्त सचिव
5. श्री श्रीकांत चतुर्वेदी — कोषाध्यक्ष
6. श्री धनराज ओचानी — सदस्य
7. श्री लक्ष्मणदास डोडाणी — सदस्य
8. श्री राजाराम तिवारी — सदस्य
9. श्रीमती किरण देवी — सदस्य

स्वामी बम महादेव दास, अध्यक्ष.
सचीन्द्र सिंह बघेल, सचिव.

(G-472)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2023—चैत्र 10, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.